न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-251RAAJodhpur2022-106RTA223 Narpatram ors Vs Mangilal etc

01. नरपतराम पुत्र प्रभुराम
02. बंशीलाल पुत्र प्रभुराम,
03. राणाराम पुत्र प्रभुराम

सभी जातियान् छीपा, निवासीगण सांवल नगर मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र प्रभुराम
02. प्रेमसुन्दर पुत्र प्रभुराम

दोनो जातियान् छीपा, निवासीगण सांवल नगर मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी, हाल निवासी बरकत कॉलोनी, फलोदी।

03. तहसीलदार, फलौदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 12 जून 2018 एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 214/2018 मांगीलाल व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री देवीलाल आर. व्यास, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 11 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 214/2018 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2018 एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 310/10 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 310/9 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा गाँव सावलनगर तहसील फलोदी के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जून 2018 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया एवं दिनांक 07 जनवरी 2019 प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली वास्ते तामिल हेतु मुकर्रर थी। दिनाक 28.11.2017 को अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की बिना कोई तामील करवाये एक तरफा कार्यवाही कर दी गई। जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश की पालना में दिनांक 24.4.2018 को पत्रावली विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर बाप से सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी को स्थानांतरित कर दी गई, जिसकी सूचना अपीलाण्टगण को दिये बिना विचारण न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद बाबत बटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का था। राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 310/9 खसरा नम्बर 310/10, खसरा नम्बर 310 व खसरा नम्बर 310 के अन्य बटा नम्बर 310/1 से 310/6 तक की खातेदारी का नक्शा सामलाती है एवं खसरा नम्बर 310 व खसरा नम्बर 310/1 से 310/6 के सहखातेदारो को पक्षकार बनाए बगैर दावे में बंटवाडे की डिक्री जारी नहीं हो सकती है। अपीलाण्टगण की भूमि में रास्ता मूल खसरा नम्बर 310 की भूमि में से आता है एवं रास्ते की तरमीम के अभाव में अपीलाण्टगण को अपनी कृषि भूमि में आना जाना दूभर हो जाएगा। तरमीम के दावे में सभी खातेदारों के लिए रास्ता रखना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय में दावा पक्षकारों की कुसंयोजन के कारण चलने योग्य नही था, क्योकि मूल खसरा नम्बर 310 के सभी सहखातेदार वाद में आवश्यक पक्षकार थे। अपीलाण्टगण की भूमि भी मूल खसरा नम्बर 310 का हिस्सा था। नक्शे में शामलाती मूल खसरा नम्बर 310 में दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इस कारण जमाबंदी में अपीलाण्टगण व रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा नम्बर 310/9 व खसरा नम्बर 310/10 दर्ज होने से मूल खसरा नम्बर 310 के खसरा नम्बर 310/1 से खसरा नम्बर 310/10 तक सभी सहखातेदारो की भूमि के राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर रास्तें को अलग से दर्ज करना आवश्यक था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के जवाब दावा को रेकर्ड पर लिया गया तथा न ही अपीलाण्टगण की सुनवाई की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनाक 12.08.2018 को पारित किया गया तथा प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.01.2019 को पारित की गई। कानूनन निर्णय एवं डिक्री साथ–साथ पारित किये जाते है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही अपीलाण्ट से बाले बाले की गई है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित किये जाने से अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 06.06.2022 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलाण्टगण को हल्का पटवारी द्वारा दी गई, जिस पर अपीलाण्टगण ने दिनांक 07.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की नकल ली जाकर अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर जानकारी तिथि से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स अशिक्षित, गरीब ग्रामीण है, जिन्हे कानून की जानकारी नहीं है। माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय नजीरों में विलंब के बिंदु पर नरम रूख अपनाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की व प्रार्थीगण कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है जो उचित कारण से देरी क्षमा करने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 214/2018 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2018 एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2019 को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2024(1) आर.आर.टी. 67 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने एवं उन्हें जवाब प्रस्तुति का सम्यक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 310 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नंबर 310/9 रकबा 37.10 बीघा सावलंनगर एवं खसरा नं. 38/10 रकबा 38.14 बीघा, खसरा नं. 38/9 रकबा 38.14 बीघा ग्राम समलाणीनगर(मोटाई) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक–हिस्सेनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

जहां तक अपीलांट्स का बाद विभाजन अपनी जोत तक पहुंच हेतु रास्ता रखे जानें कां उज्र उठाया गया है। अपीलांट के उक्त उज्र का निस्तारण विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 214/2018 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2018 एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2019 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारान् की जोत तक पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-251RAAJodhpur2022-106RTA223 Narpatram ors Vs Mangilal etc

अपीलाण्ट

1. नरपतराम पुत्र प्रभुराम
2. बंशीलाल पुत्र प्रभुराम,
3. राणाराम पुत्र प्रभुराम

सभी जातियान् छीपा, निवासीगण सांवल नगर मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी।

ब ना मे

रेस्पोडेण्ट

01. मांगीलाल पुत्र प्रभुराम
02. प्रेमसुन्दर पुत्र प्रभुराम

दोनो जातियान् छीपा, निवासीगण सांवल नगर मोटाई तहसील फलोदी जिला फलोदी, हाल निवासी बरकत कॉलोनी, फलोदी।

03. तहसीलदार, फलौदी जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 12 जून 2018 एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2019 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 214/2018 मांगीलाल व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि

यह अपील बतारीख 11 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री देवीलाल आर. व्यास अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 214/2018 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 12 जून 2018 एवं डिक्री दिनांक 07 जनवरी 2019 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारान् की जोत तक पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर